भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1267
दिनांक 30 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

पशु अस्पताल

1267. श्री अमरा राम:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पशुपालन विभाग द्वारा प्रदान की गई सहायता एवं प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है और इससे क्या लाभ होने की संभावना है; और

(ख) पशु चिकित्सा एवं उपचार के लिए राजस्थान राज्य को सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता सहित पशु चिकित्सा अस्पतालों की योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) पशुपालन राज्य का विषय है। पशु चिकित्सा सेवाएं और उपचार प्रदान करने के लिए पशु चिकित्सा अस्पतालों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। हालांकि, पशुपालन और डेयरी विभाग, केंद्रीय क्षेत्र की योजना पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) के कार्यान्वयन के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पशुधन स्वास्थ्य देखभाल का समर्थन और संवर्द्धन कर रहा है, जिसका उद्देश्य 100% केंद्रीय सहायता के तहत खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी), ब्रूसेलोसिस, पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (पीपीआर) और क्लासिकल स्वाइन ज्वर (सीएसएफ) जैसे पशु रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण के जरिए पशु स्वास्थ्य जोखिम को कम करना, पशु चिकित्सा पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान करना और किसानों के द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) की खरीद करना है। पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी) के तहत, केंद्र और राज्य के लिए 60:40, पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% निधियन पैटर्न के साथ प्रशिक्षण देने और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाले विदेशी, उभरने वाले और जूनोटिक पशु रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, केंद्र सरकार, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के माध्यम से राज्य पशु चिकित्सा परिषदों (एसवीसी) द्वारा आयोजित "सतत पशु चिकित्सा शिक्षा (सीवीई)" का समर्थन करती है, ताकि सेवारत पशु चिकित्सकों और पैरा-पशु चिकित्सकों के कौशल को बढ़ाने के लिए उन्हें फिर से प्रशिक्षित किया जा सके। यह कार्यकलाप बेहतर पशुधन स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से पशु उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का समर्थन कर रहा है।

(ख) विभाग, पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण (ईएसवीएचडी-एमवीयू) घटक के तहत, टोल-फ्री नंबर (1962) के माध्यम से मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) के जरिए किसानों के द्वार पर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए, पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के लिए 90:10; अन्य राज्यों के लिए 60% और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% के अनुपात में आवर्ती संचालन व्यय के साथ प्रति 1 लाख पशु आबादी पर एक एमवीयू की दर से मोबाइल पशु चिकित्सा इकाईयों (एमवीयू) की खरीद और अनुकूलन के लिए राजस्थान सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसमें रोग निदान, उपचार, टीकाकरण, मामूली सर्जिकल हस्तक्षेप, दृश्य-श्रव्य सहायता और विस्तार सेवाएं शामिल हैं। इस संबंध में, 536 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाईयों (एमवीयू) की खरीद के लिए राजस्थान राज्य को 85.76 करोड़ रुपये की 100% वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, एमवीयू की आवर्ती परिचालन लागत के लिए वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 के दौरान क्रमशः 394.25 लाख रुपये और 1641.43 लाख रुपये की केन्द्रीय हिस्सेदारी भी जारी की गई थी। तदनुसार, 17.40 लाख पशुओं को द्वार पर पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करके कुल 3.94 लाख किसान लाभान्वित हुये हैं।

******